



दिनांक 04/11/2020

अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) एवं अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के अभ्यर्थियों हेतु पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचना  
मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त नीट यू0जी0 काउंसिलिंग सत्र  
2020-21

अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) एवं अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति (Scholarship) की पात्रता हेतु अभ्यर्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा का बंधन शासन द्वारा समाप्त किया गया है।

निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता हेतु अभ्यर्थी की वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 6 लाख है।

  
04.11.2020  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्य प्रदेश  
  
04/11/2020